प्र।३४

GORAKHPUR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर–273212
ईमेल– ceogida-up@up-gov-in
वेबसाइट– **www.gidagkp.in**

आवंटन पत्र

योजना का नाम :– सेक्टर–11 आवासीय योजना

आवंटन पत्र सं०......../सम्पत्ति–9 (3)/भू०सं०........./से०सं........./दिनांक.........

आवंटी का नाम एवं पता

____

____

____

विषयः– सेक्टर–11 आवासीय योजना में भूखण्ड का आवंटन।

प्रिय महोदय/महोदया,

सेक्टर–11 आवासीय योजना के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु आपके आवेदन पत्र दिनांक.......................के क्रम में दिनांक....................को सम्पन्न ई–लाटरी के आधार पर आपके पक्ष में भूखण्ड......................निम्नांकित विवरण एवम् शर्तो पर आवंटित किया जाता है। आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल.......................वर्ग मीटर (विवरण संलग्न साइट प्लान के अनुसार) है।

Vetted

आवंटित भूखण्ड का प्रोविजनल प्रीमियम एवम् किश्तों का विवरण :–

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि
1.	भूखण्ड का बेसिक प्रोविजनल प्रीमियम (क्षेत्रफलXदर)	....
2.	यदि भूखण्ड 30 मीटर या इससे चौडे मार्ग पर/पार्क के सम्मुख स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 5 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जायेगा। (क्रम सं० 1 का 5 प्रतिशत)	....
3.	यदि भूखंड दो या दो से अधिक सम्पर्क मार्गो पर स्थित है तो भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त लिया जायेगा। (क्रम सं० 1 का 10 प्रतिशत)	....
4.	**भूखण्ड का कुल प्रोविजनल प्रीमियम क्रम संख्या (1+2+3)**	....
5.	जमा की गयी पंजीयन राशि	....
6.	**आवंटन धनराशि क्रम संख्या 4 का 30 प्रतिशत (क्रम संख्या 5 के समायोजन के बाद) (यह धनराशि आवंटन तिथि से 60 दिन के भीतर दिनांक..............जमा करना अनिवार्य है)**	....
7.	अवशेष प्रोविजन प्रीमियम 70 प्रतिशत (क्रम संख्या 4–क्रम संख्या 5+6)	....
8.	**क्रम संख्या 7 के सापेक्ष छ माही किश्त 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित (भुगतान 10 छ माही किश्तों में)**	....

नियम एवं शर्ते

आवंटन धनराशि/अवशेष प्रीमियम/किश्तों का भुगतान

1. आवंटन धनराशि (पृष्ठ 2 के क्रमांक 6 पर अंकित) आवंटन की तिथि से 60 दिन के भीतर जमा करनी होगी। आवंटन पत्र जारी होने की तिथि आपके पक्ष में उपर्युक्त भूखण्ड के आवंटन की तिथि मानी जायेगी। समय में आवटन धनराशि के जमा न किये जाने की दशा में आवंटन की तिथ से 90 दिन तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी को आवंटन धनराशि तत्समय प्रचलित ब्याज की दर के साथ जो आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से देय होगा, स्वीकार करने का अधिकार होगा। आवंटन की तिथि से 90 दिन तक भी आवंटन धनराशि जमा न किये जाने की दशा में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

2. यदि भूखण्ड आवंटन के पश्चात भूमि की दरें पुनरीक्षित हो जाती है तो उक्त दशा में आवंटन धनराशि आवेदक को आवंटन पत्र में उल्लिखित समय में जमा करनी होगी एवं विलम्ब से आवंटन धनराशि किसी भी दशा में स्वीकार नही होगी तथापि यदि आवंटी नई पुनरीक्षित दरों पर भूखण्ड लेने के इच्छुक है, तो उक्त दशा में पुनरीक्षित दर की दिनांक को आवंटन की तिथि मानते हुये आवंटन धनराशि को स्वीकार करने का अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को होगा।

3. पृष्ठ संख्या–2 पर वर्णित प्रीमियम केवल तदर्थ (प्रोविजनल) है। आवंटन के पश्चात अवशेष 70 प्रतिशत प्रीमियम नियमानुसार देय ब्याज के साथ 10 छमाही किश्तों में देय होगा। छमाही किश्त प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को देय होगी, देय किश्त का निर्धारित तिथि (माह के 1 से 7 तारीख, यदि 7 तारीख को अवकाश है तो उसके बाद पड़ने वाले कार्य दिवस तक) को भुगतान न किये जाने की दशा में नियमानुसार दण्ड ब्याज भी देय होगा। बकाया धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर किश्त की गणना की गई है। ब्याज की दर समय–समय पर परिवर्तनीय है।

4. यदि आवंटी भूखण्ड का आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 60 दिनों में आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष देय धनराशि का पूर्ण भुगतान (पृष्ठ संख्या–2 के क्रमांक 04) कर देता है तो उक्त दशा में 2 प्रतिशत की छूट भुखण्ड के कुल प्रीमियम में अनुमन्य होगी।

5. भूखण्ड आवंटन होने के पश्चात निर्धारित समयावधि में आवंटन धनराशि जमा न करने की दशा में आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा की गयी रजिस्ट्रेशन धनराशि गीडा द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

6. यदि आवेदित क्षेत्रफल एवं आवंटित क्षेत्रफल में 20 प्रतिशत से अधिक का अन्तर है तो आवंटी को यह अधिकार होगा कि वह आवंटन स्वीकार न करे। ऐसी दशा में उसे इस आशय का पत्र गीडा कार्यालय में आवंटन की तिथि से 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करना

होगा अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि आवंटी को आवंटित भूखण्ड (क्षेत्रफल) स्वीकार है।

7. आवंटी को, आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष समस्त देय धनराशियां यथा आवंटन राशि, किश्त, लीज रेन्ट, रख–रखाव शुल्क आदि गीडा द्वारा निर्धारित बैंक/ऑन–लाईन जमा करनी होगी।

विलेखों का निष्पादन

8. गीडा द्वारा भूखण्ड आवंटित किये जाने के 3 माह के अन्दर आवंटी को वांछित दस्तावेजों के दाखिल करने एवं लम्बित धनराशि के भुगतान, यदि कोई हो, के उपरान्त पट्टा विलेख को निष्पादित करके आवंटित भूमि का कब्जा ले लेना होगा। यदि आवंटी पट्टा विलेख निष्पादित करने में असमर्थ रहता है तो गीडा को आवंटन निरस्त करने एवं नियमानुसार आवंटी द्वारा जमा धनराशि जब्त करने का अधिकार होगा।

9. भूखण्ड का पट्टा विलेख तभी निष्पादित किया जायेगा जबकि
(क) आवंटी द्वारा गीडा की समस्त अद्यतन देयों का भुगतान कर दिया गया हो।
अथवा
(ख) जिस प्रयोजन हेतु यह आवंटन किया जा रहा है उसके लिए शेडयूल्ड बैंक/वित्तीय संस्था (जिसे बन्धक कार्यवाही करनी हो) ऋण स्वीकृत कर कुल शेष भूमि प्रीमियम का एक मुश्त भुगतान सीधे गीडा को कर देगी। उस दशा में गीडा ऐसी वित्तीय संस्था को प्रथम प्रभार की अनुमति दे सकता है और पट्टा विलेख की दूसरी निबन्धित प्रति के बदले मूल पट्टा विलेख उक्त संस्था को हस्तांतरित कर सकता है।

10. पट्टा विलेख सम्बन्धी समस्त व्यय जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री की फीस, लिखाई, छपाई एवं नक्शा आदि का व्यय भार आवंटी को वहन करना होगा।

उपयोग शुल्क/लीज रेंट

11. भूखण्ड 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया जायेगा और आवंटी को आवंटित भूखण्ड का उपयोग शुल्क/लीज रेन्ट निम्नानुसार जमा करना होगा:–

प्रथम	30 वर्ष	रु. 1.00 प्रति वर्ग मीटर	प्रतिवर्ष
अगले	30 वर्ष	रु. 2.50 प्रति वर्ग मीटर	प्रतिवर्ष
आखिरी	30 वर्ष	रु. 5.00 प्रति वर्ग मीटर	प्रतिवर्ष

उपरोक्त शुल्क समय–समय पर परिवर्तित किया जा सकता है।

यदि भविष्य में पट्टे पर दी जाने भूमि को फ्री होल्ड में बदला जाता है तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि (फ्री होल्ड शुल्क) आवंटी को जमा करना होगा।

रख–रखाव शुल्क

12. अन्य देयों के अतिरिक्त आवंटी को गीडा द्वारा समय–समय पर निर्धारित रख–रखाव शुल्क (वर्तमान में रुपये 24.00 प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष) का भुगतान करना होगा। यह शुल्क समय–समय पर परिवर्तनीय है। इसके अतिरिक्त गीडा, भविष्य में कोई अन्य रख –रखाव शुल्क, टैक्स आदि लगाती है तो उसका भुगतान भी आवंटी को करना होगा।

कर आदि की देयता

13. सरकार या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त कर (टैक्स) या शुल्क आवंटी को स्वयं देना होगा।

भूखण्ड पर भवन निर्माण की अनिवार्य अवधि

14. भूखण्ड के आवंटन तिथि से 2 वर्ष के भीतर आवंटी को गीडा द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवन का निर्माण करा लेना होगा। आवंटित भूखण्ड पर कोई भी निर्माण कार्य गीडा से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही किया जायेगा।

समय विस्तारीकरण

15. भूखण्ड के आवंटन तिथि से 2 वर्ष के भीतर आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण न करने की दशा में तद्समय गीडा द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार समय विस्तारीकरण शुल्क देय होगा। समय विस्तारीकरण समाप्त होने के पश्चात, आवंटी का यह दायित्व होगा कि जो भी उसके पक्ष में नियमानुसार समय विस्तारीकरण अनुमन्य किया गया है, उक्त अवधि में पूर्णता/अधिभोग (Completion/Occupancy) प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

16. भवन निर्माण हेतु समय–समय पर, उ. प्र. शासन के नीतियों के अधीन गीडा द्वारा लागू भवन निर्माण उप विधि के समस्त नियम/प्राविधान (समय–समय पर संशोधन सहित) आवंटी पर लागू होगें।

पुनर्जीवीकरण

17. प्राधिकरण द्वारा भूखंड का आवंटन प्रचलित नीति व नियमों के अर्न्तगत नियमानुसार निरस्त किया जायेगा। भूखंड का आवंटन निरस्तीकरण की दशा में नियमानुसार पुनर्जीवीकरण शुल्क एवं समस्त अद्यतन देयताओं के साथ अनुमन्य किया जा सकेगा।

भूखंड के पुनर्जीवीकरण हेतु आवेदन आवंटन निरस्तीकरण की तिथि से 90 दिन के अंदर पूर्व आवंटी द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। भूखंड के निरस्तीकरण की तिथि से 90 दिनों के पश्चात पुनर्जीवीकरण हेतु आवेदन किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

भूखण्ड का निरस्तीकरण एवं समर्पण

18. प्राधिकरण द्वारा भूखंड का आवंटन प्रचलित नीति एवं नियमों के अंतर्गत नियमानुसार निरस्त किया जायेगा।

19. भूखण्ड आवंटन के उपरान्त आवंटी की किसी त्रुटि के कारण आवंटन निरस्त हो जाने की दशा में निम्नांकित धनराशियाँ गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के पक्ष में जब्त हो जायेंगी :–
(क) आवंटन की तिथि से आवंटन निरस्त होने की तिथि तक का समय–समय पर कुल शेष भूमि प्रीमियम पर 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज (समय–समय पर परिवर्तनीय) देय होगा।
(ख) आवंटन की तिथि से आवंटन निरस्त होने की तिथि तक का उपयोग शुल्क/ लीज रेंट।
(ग) आवंटन की तिथि से आवंटन निरस्त होने की तिथि तक का अनुरक्षण शुल्क इत्यादि।
(घ) समय विस्तारीकरण शुल्क इत्यादि।
उपर्युक्त ढंग से जब्त होने वाली धनराशियां काटकर आवंटी द्वारा जमा धनराशियों में से यदि कोई अवशेष बचता है तो वह आवंटी को लौटाया जा सकेगा।

20. आवंटन के समर्पण की दशा में निम्नांकित धनराशियाँ गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के पक्ष में जब्त हो जायेंगी :–
(क) आवंटन की तिथि से आवंटन निरस्त होने की तिथि तक का समय–समय पर कुल शेष भूमि प्रीमियम पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज (समय–समय पर परिवर्तनीय) देय होगा।
(ख) आवंटन की तिथि से आवंटन निरस्त होने की तिथि तक का उपयोग शुल्क/ लीज रेंट।
(ग) आवंटन की तिथि से आवंटन निरस्त होने की तिथि तक का अनुरक्षण शुल्क इत्यादि।
(घ) समय विस्तारीकरण शुल्क इत्यादि।
उपर्युक्त ढंग से जब्त होने वाली धनराशियां काटकर आवंटी द्वारा जमा धनराशियों में से यदि कोई अवशेष बचता है तो वह आवंटी को लौटाया जा सकेगा।

21. यदि किसी समय यह पाया जाता है कि आवेदक ने कोई असत्य सूचना दी है अथवा तथ्य छिपाये हैं, तो उसके आवंटन को निरस्त किया जा सकता है एवं गीडा के नियमानुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।

भूखण्ड का हस्तान्तरण

22. आवंटी बिना गीडा की पूर्वानुमति के भूखण्ड का विक्रय/हस्तान्तरण/विभाजन नहीं कर सकता है। हस्तान्तरण की दशा में आवंटी को प्राधिकरण नियमानुसार हस्तातंरण शुल्क देय होगा।

23. यदि सम्पत्ति के संबंध में कोई विलेख निष्पादित हो चुके हों तो उस सम्पत्ति के पुनः हस्तान्तरण के संबंध में होने वाले समस्त व्यय जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री शुल्क आदि का व्यय आवेदक को ही वहन करना होगा।

24. भूखण्ड का हस्तान्तरण बिना हस्तान्तरण शुल्क के, आवेदक के पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, पौत्र, पौत्री व कानूनी वारिस के पक्ष में गीडा में लागू नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

25. हस्तान्तरण के पश्चात नव आवंटी को गीडा के सभी नियम/शर्ते मान्य होंगी।

आवेदक/आवंटी की मृत्यु की दशा में

26. आवेदक की मृत्यु अथवा आवंटन में सफल पंजीकृत इच्छुक क्रेता द्वारा समस्त औपचारिकताओं (जिसमें भूखण्ड का कब्जा लेना भी सम्मिलित है) की पूर्ति के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में गीडा द्वारा उक्त भूखण्ड उसके विधिक उत्तराधिकारी के पक्ष में नियमानुसार गीडा में लागू नियमों के अनुसार हस्तान्तरित किया जायेगा। ऐसी दशा में गीडा की संतुष्टि हेतु सक्षम स्तर से प्राप्त उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अन्य बिन्दु

27. आवंटन के उपरान्त आवंटी भूखण्ड का कब्जा वास्तविक नाप के अनुसार लीज डीड निष्पादित कराकर लेगा। यदि क्षेत्रफल या आकार पूर्व सूचित क्षेत्रफल या आकार से भिन्न होगा तो संशोधित स्थिति के अनुसार भुगतान करना होगा। यदि आवंटी द्वारा अधिक धनराशि जमा की जा चुकी है तो उसे अवशेष धनराशि वापस/समायोजित कर दी जायेगी।

28. आवंटी, आवंटित भूखण्ड का प्रयोग मात्र आवासीय प्रयोजन हेतु ही करेंगे। भूखण्ड पर किसी भी प्रकार के औद्योगिक/व्यवसायिक/संस्थागत आदि प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। उक्त प्रतिबन्धित उपयोग के लिये किया गया निर्माण बिना नोटिस के ध्वस्त कर दिया जायेगा एवं ध्वस्तीकरण पर होने वाला व्यय आवंटी से वसूल किया जायेगा। ऐसी दशा में भूखण्ड का आवंटन भी निरस्त किया जा सकता है।

29. "भूखण्ड जैसा है जहाँ है" के आधार पर आवंटित किया गया है और आवंटी को आवश्यकतानुसार भूखण्ड को समतल करना, आदि कार्य अपने खर्च पर कराने होगें। गीडा द्वारा यथा सम्भव अवस्थापना सुविधाओं का विकास इस योजना में किया गया है। यह आवंटन स्वीकार करने पर यह अर्न्तनिहित होगा कि आपने उक्त विकास कार्यों की स्थिति योजना स्थल पर देख ली है तथा आप उससे संतुष्ट होकर ही भूखण्ड का आवंटन स्वीकार कर रहे हैं।

30. योजना हेतु भूमि का अर्जन "भूमि अधिग्रहण अधिनियम"/क्रय के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्बन्धित भू-स्वामियों को अर्जित भूमि के सापेक्ष मुआवजा/प्रतिकर भुगतान के पश्चात किया गया है। यदि भविष्य में किसी पूर्व भू-स्वामी द्वारा दायर सन्दर्भ वाद/अपील/रिट-पिटीशन/एस.एल.पी. आदि के केस में न्यायालय के निर्णय में मुआवजे/प्रतिकर की राशि बढ़ाये जाने का आदेश दिया जाता है तो इस प्रकार मुआवजे/प्रतिकर की बढ़ी धनराशि के भुगतान का पूर्ण दायित्व स्वमेव आवंटी पर स्थानान्तरित हो जायेगा। आवंटी को इस प्रकार बढ़ी धनराशि का भुगतान उसे आवंटित क्षेत्रफल एवं योजना के ले-आउट प्लान के अनुसार विक्री योग्य क्षेत्रफल के अनुपात में करना होगा। उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में गीडा द्वारा एक मांग पत्र आवंटी को दिया जायेगा जिसमें निर्धारित अवधि के भीतर आवंटी को वांछित धनराशि का भुगतान करना होगा। मुआवजे की बढ़ी धनराशि के सापेक्ष आवंटी को जिस धनराशि का भुगतान करना है, का विवरण उक्त मांग पत्र में दिया जायेगा। यदि उपर्युक्त वर्णित धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा गीडा को निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो गीडा को उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल करने का अधिकार होगा।

31. जब तक कुल शेष भूमि प्रीमियम एवं उस पर निर्धारित दर से देय ब्याज का पूर्ण भुगतान गीडा को नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक भूमि एवं उस पर स्थापित सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार गीडा का होगा।

32. आवंटी/पट्टा धारक द्वारा किये गये भुगतान की धनराशि का समायोजन सर्वप्रथम दण्ड ब्याज, ब्याज के मद में, (यदि कोई हो) तत्पश्चात भूमि प्रीमियम के मद में, (यदि देय हो) किया जायेगा। लीज रेन्ट/उपयोग शुल्क, रख-रखाव शुल्क, मानचित्र शुल्क, जलापूर्ति चार्ज व अन्य गीडा द्वारा निर्धारित शुल्क यथा निर्दिष्ट बैंक खातों/ऑन-लाईन आवंटी द्वारा स्वयं चालान के माध्यम से जमा करना होगा।

33. आवंटी अपने भूखण्ड/भवन में किसी ऐसी कार्यविधि का प्रयोग नहीं कर सकेगें जिसमें धुंआ या गैस उत्पन्न हो और जिसमें चिमनी लगाई गई हो या लगाई जाती है और प्रक्रिया में किसी जिवाष्मीय ईंधन का प्रयोग हो जिससे उ. प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सीमाओं/मानकों से अधिक पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो तथा/अथवा ऐसे किसी द्रव्य उत्स्रवाह का विसर्जन नहीं करेगें जिसकी प्रकृति अहितकर हो या जो प्रदूषण उत्पन्न करे। आपके भवन से हवा में किसी उल्लेखनीय मात्रा में कणों तथा/अथवा गैसीय पदार्थ का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए।

34. आवंटी अपने भूखण्ड/भवन में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के घोड़ा, दुधारू पशु, बिल्ली, सुअर आदि जीव जन्तु नहीं पाल सकते हैं।

35. आवंटी द्वारा अपने भूखण्ड पर किसी प्रकार के धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थल का निर्माण नहीं किया जायेगा।

36. इस आवंटन पत्र में किसी समय संशोधन करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को होगा।

37. विवरण पुस्तिका में उल्लिखित भूखण्ड के प्रीमियम का संशोधन अथवा वृद्धि का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को होगा। इस बारे में आवंटी को गीडा द्वारा भेजे गये पत्र या समाचार पत्रों में विज्ञापित सूचना पर्याप्त मानी जायेगी।

38. आवंटन की प्रक्रिया अथवा आवंटित सम्पत्ति का कब्जा दिये जाने से सम्बन्धित अथवा इस इकरारनामा से सम्बन्धित किसी भी विषय पर यदि विवाद उत्पन्न होता है, तो आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

39. आवंटी द्वारा अपने भूखण्ड पर गीडा के अधिसूचित क्षेत्र से न तो मिट्टी लाई जायेगी और न ही गीडा क्षेत्र में से किसी भूखण्ड से मिट्टी निकाली जायेगी। यदि आवंटित भूखण्ड पर गीडा के अधिसूचित क्षेत्र से कभी भी मिट्टी लाते हुये या निकालते हुये पाया जाय तो उसका पूरा हर्जाना आवंटी द्वारा भरा जायेगा तथा आवंटन भी निरस्त किया जा सकता है।

40. आवंटी द्वारा अपने भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु समस्त निर्माण सामग्री यथा सम्भव अपने भूखण्ड परिसर में रखेगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा करना सम्भव न हो तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा इस प्रकार के अस्थायी सामग्री भण्डारण से गीडा की परिसम्पत्तियों (रोड, ड्रेन, जलापूर्ति पाइप लाइन, विद्युत लाइन, वृक्षारोपण आदि) का नुकसान न हो तथा आवागमन वाधित न हो। यदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी भरपायी आवंटी द्वारा की जायेगी।

41. आवंटी द्वारा अपने भूखण्ड पर पहुँच मार्ग हेतु बनायी जाने वाली कल्वर्ट (पुलिया) का टॉप लेविल सम्मुख सड़क के टॉप लेविल से ऊपर नहीं होगा, साथ ही एप्रोच मार्ग एवं कल्वर्ट के निर्माण से सम्मुख स्थित ड्रेन एवं जलापूर्ति पाइप लाइन का अनुरक्षण प्रभावित न हो।

42. आवंटी द्वारा भूखण्ड पर कराये जाने वाले निर्माण की संरचनात्मक सुरक्षा के सन्दर्भ में समय-समय उ.प्र. शासन अथवा गीडा द्वारा लागू निर्देशों का पालन किया जायेगा।

43. यह कि भवन मानचित्र स्वीकृति के पूर्व आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड पर, प्रथम पक्ष/उ.प्र. शासन द्वारा निर्धारित संख्या/मानक के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।

44. आवंटी को भवन निर्माण में उ.प्र. सरकार द्वारा जल संरक्षण के दृष्टिगत जारी शासनादेशों के अनुरूप अवंटित क्षेत्र में रेन हार्वेस्टिंग का निर्माण आवश्यक होगा।

45. आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के प्राविधान तथा उसके अन्तर्गत गठित नियम लागू माने जायेंगे।

46. ऊपर वर्णित नियम/शर्ते केवल उदाहरण के लिए है और सम्पूर्ण नहीं हैं जिनमें सूचना दिये बिना ही किसी भी समय परिवर्तन/परिवर्धन किये जा सकते हैं।

47. गीडा आवासीय योजना सेक्टर-11 की विवरण पुस्तिका में दी गयी समस्त नियम/शर्ते इस आवंटन पत्र का भाग मानी जायेगी।

48. गीडा में लागू आवंटन नियमावली के समस्त नियम आवंटी पर लागू होंगें।

49. समस्त वाद गोरखपुर न्यायालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होंगे।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।

Vetted
01-8-24
(विधि अधिकारी)

1-8-24